राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय,राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– स 3–6(7)स्था / अभि / 18 / 7416–32 दिनांक – 16/08/21

पदोन्नति आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32–33 के अन्तर्गत सहायक प्रशासनिक अधिकारी के वर्ष 2018–19 के रिक्त पदो से भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर श्री सुधीन्द्र कुमार औदिच्य के विरूद्व फौजदारी प्रकरण विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति का निर्णय सीलबंद लिफाफे मे रखा गया था।

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बूंदी के निर्णय दिनाक 02.02.2021 के द्वारा श्री सुधीन्द्र कुमार औदिच्य को अन्तर्गत धारा 420 ,471 भा.द.स. मे दोषमुक्त घोषित किया जाकर, धारा 417 / 511 भा.द.स. के आरोप दोषसिद्व घोषित किया गया एवम धारा –12 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर निर्देश दिये गये कि अपराध की दोषसिद्धि से संलग्न यदि कोई हो निर्हरता से ग्रस्त नही होगा।

अत: उपरोक्त आदेश की पालना मे श्री सुधीन्द्र कुमार औदिच्य का वर्ष 2018–19 मे पदोन्नति के संबध मे सील बंद लिफाफा खोलते हुए इन्हे सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2018–19 मे उपलब्ध रिक्ति की दिनाक 01.04.2018 के विरूद्व वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतन) नियम 2017 के मैट्रिक्स लेवल–10 मे पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता सहायक प्रशासनिक अधिकारी मे श्री मुरारी लाल वर्मा पुत्र श्री सन्त राम ,सहायक प्रशासनिक अधिकारी के निचले क्रम पर व श्री रविन्द्र कुमार औदिच्य पुत्र श्री उदयशकर ,सहायक प्रशासनिक अधिकारी के ठीक ऊपर रहेगी ।

पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नति पर उपस्थिति दिनाक से देय होगा । पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

6/8/21

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

<u>प्रतिलिपि:–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु</u> :–

1. उप निदेशक अभियोजन ,कोटा ।
2. सहायक निदेशक अभियोजन, बूंदी ।
3. निजी सचिव ,निदेशक अभियोजन ।
4. अतिरिक्त निजी सचिव ,अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर ।
5. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर ।
6. प्रशासनिक अधिकारी ,अभियोजन निदेशालय जयपुर ।
7. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा –सहायक निदेशक अभियोजन ,बूंदी ।
8. निजी पत्रावली / समस्त शाखा ,अभियोजन निदेशालय जयपुर ।
9. रक्षित पत्रावली ।

6/8/21

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर